रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2471] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 14, 2016/आश्विन 22, 1938
No. 2471] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2016/ASVINA 22, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2016

(आय-कर)

का.आ. 3204(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (19क) के स्पष्टीकरण 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी कंपनी का पुनर्गठन या विभाजन, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसके शेयरों का पृथक कंपनियों में अंतरण करने पर पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रहती है, निर्विलियन माना जाएगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती है, अर्थात:—

(i) ऐसा पनुर्गठन या विभाजन, निर्विलीन कंपनी की किन्ही आस्तियों को शेयर धारण करार और शेयर क्रय करार मैं वर्णित शर्तों को प्रभावी करने के लिए, परिणामी कंपनी मैं अंतरित करने के लिए किया गया है; और

(ii) परिणामी कंपनी कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है।

[अधिसूचना संख्या 93/2016, संख्या 149/251/2015-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)